न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/346
दायरा तिथि : 23.09.2022
आदेश तिथि : 30-07-2024
प्रार्थी :–

श्री अजीतसिंह पुत्र हनवंतसिंह जाति राजपूत निवासी सेणा तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली
2. ग्राम पंचायत सेणा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 30/7/024

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सेणा (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 537/61 रकबा 0.4000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम सेणा (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 59 रकबा 17.0000 हैक्टर व अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम सेणा (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 59/540 रकबा 11.2100 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2023/398 दिनांक 13.07.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि ऑनलाइन नये नक्शें में खसरा नंबर 598/63 रास्ता दर्ज है, जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि के निकट है। अतः प्रार्थी को खसरा नंबर 599/63 की माठ के सहारे खसरा नंबर 598/63 गैर मुमकिन रास्ता तक रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित रूट से प्रार्थी को रास्ता दिये जाने के संबंध में तहसीलदार बाली से पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/1856 दिनांक 12.02.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक बिसलपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम सेणा (बाहरी क्षेत्र) पटवार मंडल सेणा के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 537/61 रकबा 0.4000 हैक्टर की भूमि प्रार्थी के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। आवेदन खातेदार की धारित खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिये राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं न ही कदीमी रास्ता है। वर्तमान मे आवेदक अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु इसी खसरें में से ही आना–जाना करता है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता सडक अथवा कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का ही है। इससे कम दुरी का विकल्प आस–पास पहाडी भूमि होने से उपलब्ध नहीं है।
3. यह है कि ग्राम सेणा (बाहरी क्षेत्र) में रास्ते हेतू प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	599/63	0.6600 हैक्टर	बा. दो.	80X09= 720 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

4. यह है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम सेणा की डी.एल.सी. दर 98928/– प्रति हैक्टर है।
5. प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर कोई भी निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है ।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2022/346

अनवान अजीतसिंह बनाम सरकार वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा पुनः रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सेणा (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 537/61 रकबा 0.4000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/1856 दिनांक 12.02.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सेणा (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 537/61 रकबा 0.4000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम सेणा (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 537/61 रकबा 0.4000 हैक्टर में से **720 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 98928 /–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
599/63	0.6600 हैक्टर	80X09= 720 वर्गमीटर	10	7200 X2=14400	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 14400/– (अक्षरे चौदह हजार चार सौ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जांवे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनेश बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2024/943–947

दिनांक : 01-08-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, सेणा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री अजीतसिंह पुत्र हनवंतसिंह जाति राजपूत निवासी सेणा को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with CamScanner